[illegible] साहब [illegible] अस्वीकृत [illegible] कोर्टों चलन से
[illegible] पत्रावली इस [illegible] दिनांक [illegible] व दुरुह कार्यों में
28-7-2020 को [illegible] सरकारी कार्यों में
व्यस्त है।

दि. 28.7.2020 यह पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप० / वकील वादी प्रतिवादी क्रमशः, गौरी, इन्द्रा, सीता, पवन, कन्हैया, सीता, पानु, गलवा के PIF सम्मन तथा वकालत नामा पेश करने हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में पेश करने हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में समय दिया जाता है। पत्रावली दि. 18-8-2020 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही
रा. बाद अ. धारा 88 RTAct
ग्राम पंचायत सनपुर बनाम अमरा
उ.क्र. 53/13 N.N. - 4/17

दि. 18.8.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप० / श्री ईसराराम पुरोहित वकील वादी ने वादी श्रवण पुत्र सनपुर के दि. 19.6.2020 के लिखित नोटिस की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के जरिये नोटिस इस आशय सूचित किया कि उनकी बकाया मद में राशि रु० 6000/- का नोटिस इस प्रकरण में पेश करने हेतु यह वादी को सूचना वादी के जरिये नोटिस देने के उपरान्त भी वादी की तरफ से कोई सूचना नहीं होने से No Instruction करता है। अतः विचाराधीन यह वाद राजस्व प्रतिवादीगण नं० 88 RTAct का वकील वादी द्वारा No Instruction में चलाने योग्य नहीं होने तथा स्वतः रुचि योग्य होने से जरिये No Instruction से खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादीगण को सूचित कराया गया। पत्रावली सैलत्त प्रकार होकर नंबर से कम है।

No instruction
ईसराराम
अधिवक्ता
18-8-20

Lekhram
Adv
18/8/20

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:39:59 IST
Reason: SelfAttested